

ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, वर्ष 2020-21 के लिए प्रविष्टियां

छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति या एक सहकारी संस्था को सम्मानित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय "ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार" की स्थापना की है, जिसके लिये प्रविष्टियां आमंत्रित हैं।

1. निर्णायक मण्डल (जूरी) की अनुसंशा पर शासन द्वारा अंतिम रूप से घोषित एक व्यक्ति अथवा एक सहकारी संस्था को "ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार" राशि रूपये 2,00,000 (दो लाख रूपये मात्र) का नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त वाहिका, प्रशस्ति के रूप में दी जायेगी।
2. पुरस्कार के लिये निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।

(अ) व्यक्ति के लिये :-

1. लगातार पाँच वर्षों तक सहकारिता के विकास के लिये उत्कृष्ट योगदान किया हो।
2. किसी भी सहकारी संस्था का व्यतिक्रमी सदस्य न हो।
3. व्यक्ति को किसी सहकारी संस्था का सदस्य होना अनिवार्य है।
4. संबंधित व्यक्ति सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 19 ए/क एवं नियम 44 के तहत निरर्हित न हो।
5. महिला, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये उल्लेखनीय कार्य किया हो।
6. संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही न की गई हो।

टीप :- जहां आवश्यक हो प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।


(ब) सहकारी संस्था के लिये :-

1. सहकारी संस्था जिसने 03 वर्षों तक लगातार लाभ अर्जित किया हो तथा संस्था संचित हानि में नहीं हो।
2. सहकारी संस्था किसी वित्तदायी संस्था या राज्य शासन का व्यतिक्रमी न हो।
3. सहाकारी संस्था का वित्तीय अभिलेख तातारीख पूर्ण हो तथा अंकेक्षण अद्यतन पूर्ण हो।
4. अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया हो।
5. सहकारी संस्था अधिनियम/नियम/उपविधियों में वर्णित प्रावधान के अनुसार आमसभा एवं उसकी अन्य समितियों की नियमित बैठकें करती हो, एवं कार्यवाही विवरण का परिचालन करती हो।

6. वह सहकारी संस्था जो अपने सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं महिला, अनु.जाति एवं जनजाति तथा कमजोर वर्ग के उत्थान के लिये उत्कृष्ट कार्य किया हो।
7. प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत हो तथा संस्था का प्रबंधन उत्कृष्ट हो।
8. वह सहकारी संस्था जो अपने सदस्यों को लाभांश वितरण करती हो, उन्हें पुरस्कार के लिए प्राथमिकता दी जावेगी।
9. सहकारी संस्था में व्याप्त, गबन, धोखाधड़ी के मामलों में प्रभावी कार्यवाही करती हो।

टीप :- जहां आवश्यक हो प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3. पुरस्कार के नियम की प्रति एवं प्रविष्टियों के लिए निर्धारित प्रारूप कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, तृतीय एवं द्वितीय तल, ब्लॉक-बी, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर एवं सहकारिता विभाग के जिला कार्यालयों, संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा विभाग की वेबसाइट <https://coop.cg.gov.in> में निःशुल्क उपलब्ध है।
4. पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए प्रविष्टियां दिनांक 08.10.2021 तक भेजी जावे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों एवं जिला विभाग से कार्यालय की अनुसंसा तथा बिन्दुवार टीप के अभाव में प्रविष्टियां पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. प्रविष्टियां कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के इमेल rccs.coop@nic.in में निर्धारित तिथि में भेजना अनिवार्य है। प्रविष्टि प्रेषित करते समय विषय में "ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार" हेतु आवेदन पत्र स्पष्ट रूप से लिखा हो।


अपर पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

“ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार” हेतु व्यक्ति के लिए प्रविष्टि का निर्धारित प्रारूप

01. व्यक्ति का नाम व पता
02. सहकारी संस्था का नाम जहां का सदस्य है,
- सदस्यता क्रमांक, धारित अंशपूजी
03. व्यक्ति का विस्तृत विवरण, पता , दूरभाष सहित,
04. सहकारी संस्था के सदस्यों के हित में किये गये
- उत्कृष्ट कार्य का विवरण (प्रमाण संलग्न करें)
05. महिला, कमजोर वर्ग, अनु.जाति एवं जनजाति
- वर्ग के हित में किये गये उत्कृष्ट कार्य का
- विवरण (प्रमाण संलग्न करें)
06. सहकारिता के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्य
- का विवरण (प्रमाण संलग्न करें)
07. सहकारिता विकास हेतु किये गये अन्य कार्यों का
- विवरण
08. व्यक्ति के व्यतिक्रमी एवं निरहता धारण करने
- संबंधी जानकारी का विवरण (प्रमाण संलग्न करें)
- (क) आवेदक किसी संस्था का वित्तदायी बैंकों
- का व्यतिक्रमी है हाँ/नहीं
- (ख) यदि हाँ तो विवरण देवें।
- (ग) क्या व्यक्ति सहकारी अधिनियम के धारा
- 19(क) एवं 44 के प्रावधानों में निरहता
- धारण करता है (प्रमाण संलग्न करें)
- (घ) यदि हाँ तो विवरण देवें।

घोषणा पत्र

मैं श्री (व्यक्ति का नाम) सत्यनिष्ठा से
घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के आधार
पर पूर्ण सत्य है।

आवेदक/प्रस्तावक का हस्ताक्षर

04. नाम :
05. पता :
06. दूरभाष :

“ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार” हेतु सहकारी संस्थाओं के लिए प्रविष्टि का
निर्धारित प्रारूप

01. सहकारी संस्था का नाम व पता
02. सहकारी संस्था का पंजीयन क्रमांक व दिनांक
03. सहकारी संस्था द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय एवं क्रियाकलाप की जानकारी
04. पिछले 03 वर्षों में सहकारी संस्था द्वारा अपने सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्य हेतु किये गये सदस्यों के कल्याण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी (प्रमाण संलग्न करें)
05. महिला, कमजोर वर्ग, अनु. जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए संचालित विशेष कार्य की जानकारी (प्रमाण संलग्न करें)
06. सहकारी संस्था द्वारा अपने सदस्यों के आर्थिक विकास के लिए किये गये अन्य विवरण (प्रमाण संलग्न करें)
07. सहकारी संस्था द्वारा किये गये प्रक्रिया, उत्पादन एवं विपणन कार्यों का विवरण

08. अधिनियम/नियम में वर्णित प्रावधानों के तहत वार्षिक आमसभा आयोजन का दिनांक आमसभा में प्रस्ताव ठहराव की संख्या आमसभा की कार्यवाही विवरण के परिचालन का पत्र क्रमांक/दिनांक/संचालक मण्डल/बोर्ड एवं उसकी उप समिति की बैठकों की जानकारी तथा कार्यवाही विवरण के परिचालन की स्थिति (प्रमाण संलग्न करें)

संचालक मण्डल की स्थिति (निर्वाचन/प्राधिकृत) -
संचालक मण्डल के निर्वाचन का दिनांक -
उपविधि अनुसार संचालक मण्डल के निर्वाचन सदस्यों की संख्या -
कार्यरत निर्वाचित सदस्यों की संख्या -

आमसभा की जानकारी		
आमसभा का दिनांक	प्रस्ताव ठहराव की संख्या	कार्यवाही विवरण जारी करने का पत्र क्र./दिनांक

बोर्ड के बैठक की जानकारी		
बैठक का दिनांक	प्रस्ताव ठहराव की संख्या	कार्यवाही विवरण जारी करने का पत्र क्र./दिनांक

उप समिति के बैठक की जानकारी (उप समितिवार जानकारी दी जावे)		
उप समिति का नाम -		
उप समिति बैठक का दिनांक	प्रस्ताव ठहराव की संख्या	कार्यवाही विवरण जारी करने का पत्र क्र./दिनांक

09. संस्था में व्याप्त गबन, धोखाधड़ी का विवरण एवं बोर्ड/उपसमितियों की बैठकों का विवरण बोर्ड की बैठक दिनांक/प्रस्ताव/कार्यवाही विवरण परिचालन का पत्रक/दिनांक संस्था द्वारा की गई कार्यवाही (प्रमाण संलग्न करें)

(छ) दुग्ध एवं पशुपालन

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

(ज) फल एवं सब्जियां

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

(झ) अन्य

(i) मात्रा

(ii) मूल्य

कुल विक्रय (मूल्य)

03. (क) ऋण वितरण

(i) अल्पकालीन ऋण

(ii) मध्यम कालीन ऋण

(iii) दीर्घ कालीन ऋण

(iv) अन्य

(ख) ऋण वसूली (प्रतिशत)

(i) अल्पकालीन ऋण

(ii) मध्यम कालीन ऋण

(iii) दीर्घ कालीन ऋण

(iv) अन्य

(ग) कालातीत ऋण (प्रतिशत)

(i) अल्पकालीन ऋण

(ii) मध्यम कालीन ऋण

(iii) दीर्घ कालीन ऋण

(iv) अन्य

(घ) कालातीत ऋण के विरुद्ध धारा 84 एवं सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम की धारा 23, 26 के तहत दायर प्रकरण का प्रतिशत

04. प्रक्रिया इकाई का विस्तृत विवरण

(क) उत्पादित मात्रा

(ख) क्षमता

05. लाभ व हानि का विवरण

(क) विक्रय से आय

(ख) अन्य आय

(ग) कुल आय

- (घ) कुल खर्च
(ड.) शुद्ध लाभ
(ग-घ)
(च) संचित
लाभ/हानि

06. वित्तीय पत्रक का विवरण

(क) अंश पूंजी

- (i) सदस्यों से
(ii) राज्य शासन से
(iii) अन्य से

(ख) रिजर्व

(ग) ऋण एवं अग्रिम

(घ) अमानतें

- (i) सदस्यों से
(ii) अन्यो से

07. कार्यशील पूंजी

.....

08. शुद्ध पूंजी

.....

09. शासकीय अंशपूंजी की वापसी

- (क) राशि देय
(ख) राशि वापस की गई

10. शासकीय ऋण राशि की वापसी

- (क) शासन से प्राप्त राशि
(ख) वापस की गई राशि

11. लाभांश वितरण का प्रतिशत एवं राशि

वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21

12. अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत वार्षिक विवरणिका प्रस्तुति की

विवरण	सक्षम अधिकारी (जिसे विवरणी प्रस्तुत की गई)	प्रस्तुतिका दिनांक

गुणात्मक खण्ड

- | | | |
|---|-------|--|
| 01. संचालक मण्डल की स्थिति (निर्वाचन/नामांकित) | | |
| 02. अंकेक्षक वर्गीकरण | | |
| 03. मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण | | |
| (i) कुल कर्मचारी | | |
| (ii) कुल वेतन एवं मजदूरी | | |
| (iii) प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या | | |
| (iv) प्रशिक्षित सदस्यों की संख्या | | |
| 04. कल्याणकारी कार्यों/गतिविधियों में किये गये व्यय की राशि का विवरण | | |
| 05. यदि पूर्व में कोई पुरस्कार प्राप्त किया होता विवरण (प्रमाण संलग्न करें) | | |
| 06. क्या विगत वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित आपत्तियों का समुचित निराकरण कर दिया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें) | | |
| 07. संस्था किस वित्तदायी संस्था या राज्य शासन का व्यतिक्रमी तो नहीं है ? (प्रमाण संलग्न करें) | | |
| 08. संस्था का वित्तीय अभिलेख तातारीख पूर्ण है ? (प्रमाण पत्र संलग्न करें) | | |

घोषणा पत्र

मैं श्री (नाम एवं पदनाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर पूर्ण सत्य है।

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रस्तावक का हस्ताक्षर

04. नाम :

05. पता :

06. दूरभाष :

टीप :- उपरोक्त वर्णित वर्षों का वित्तीय पत्रक, लाभ एवं हानि खाता, व्यापार खाता एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा जहां प्रमाण-पत्र आवश्यक है, वहां प्रमाण-पत्र संलग्न करें।